

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

संख्या-2/पी01-20-01/2014 गृ0आ0 7207 /बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों को स्थानान्तरित कर उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क0	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री जितेन्द्र पाण्डेय	पुलिस उपाधीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस-1, पटना।	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रोहतास।
2	श्री देवेन्द्र नारायण सिंह	पुलिस उपाधीक्षक, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव।	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), भागलपुर।
3	श्री सुनील कुमार	पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना।	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), औरंगाबाद।
4	श्री राकेश कुमार	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सीतामढ़ी।
5	श्री रमण कुमार चौधरी	पुलिस उपाधीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस-5, बिहार, पटना।	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पटना।
6	श्री मिथिलेश प्रसाद	पुलिस उपाधीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस-10, पटना।	पुलिस उपाधीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस-16, पटना का अतिरिक्त प्रभार।

इसमें भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/

(महाशंकर मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञांपाक- 2/पी01-20-01/2014 गृ0आ0

पटना, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञांपाक- 2/पी01-20-01/2014 गृ0आ0

7207

पटना, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना /संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 5 गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना से अनुरोध है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी का गत्यादेश तुरंत निर्गत करने की कृपा की जाय।

सरकार के विशेष सचिव